न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 85/2018

हुनर बराड़ बनाम स्टेट आफ राजस्थान

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 31/12/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 25एफ व 28एफ में प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में हुनरदीप कौर दर्ज है। जबकि स्कूल अंकतालिका, पैन कार्ड व आधार कार्ड में नाम हुनर बराड़ अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में नाम हुनरदीप कौर के स्थान पर हुनर बराड़ दर्ज किया जावे। सरपंच ग्राम पंचायत 25एफ गुलाबेवाला के द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि हुनर बराड़ पुत्री जसविन्द्र सिंह 25एफ गुलाबेवाला की मूल निवासी है। हुनर बराड़ व हुनरदीप कौर एक ही लड़की के दो नाम हुनर बराड़ उर्फ हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह है। पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी कि हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह के स्थान पर हुनर बराड पुत्री जसविन्द्र सिंह किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल अंकतालिका, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार केसरसिंहपुर के द्वारा अपने पृष्ठांकन क्रमांक 130 दिनांक 21.06.18 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज शुद्धि हेतु भिजवाये गये।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया सहखातेदारों का जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदाराण जयवीरसिह, चन्द्रकौर, सतपालसिह, नक्षत्रकौर,राजपालसिह, वीरपालकौर, बैयन्तकौर, गुरदीपकौर, भुपेन्द्रकौर,रहमतसिह की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 28 एफ की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 21/23 के मु0 नं0 28 ,53/6, 53/11 की कुल 6.262 है0 तथा खाता सं0 22/31 के मु0 नं0 14,34,49,50,53/18 की कुल 5.376 है0 भूमि में प्रार्थीया का नाम हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह अंकित है जबकि प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्कूल अंकतालिका, आधार कार्ड, पैन कार्ड में नाम हुनर बराड़ पुत्री जसविन्द्र सिंह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत 25एफ गुलाबेवाला के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार हुनर बराड़ उर्फ हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह एक ही लड़की के दो नाम है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत 25एफ गुलाबेवाला के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र व पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 28एफ की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 21/23 व खाता सं0 22/31 में अंकित नाम हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह के स्थान पर हुनर बराड़ उर्फ हुनरदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इन दोनो खातों के शेष अंकन बदस्तूर रहेगें। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner